

परिशिष्ट - 37

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला रतलाम (म.प्र.)
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रं. 3751

परिशिष्ट - 37

वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक (माह फरवरी 2018)

क्रं.	कालोनी का नाम	कालोनाईजर का नाम एवं पूर्ण पता	कालोनी क्षेत्र का रकबा(सर्वे क्रमांक सहीत)	कालोनी का लोनी वैध है या अवैध	कालोनी निर्माण का वर्ष	कृत कार्यवाही	रिमांक
1	शुभ-लाम गिला	3	4	5	6	7	8
1	शुभ-लाम गिला	श्री भूपेन्द्र कुमार डांगी	ग्राम-सुजावता भूमि सर्वे नं. 39/1/2/1, 39/1/2/2, 39/1/1, 39/5, कुल रकबा 0.548 हे.	वैध	2013-14	विकास कार्य पूर्ण करने हेतु कालोनाईजर को सूचना पत्र क्रं. 1742 दिनांक 19/07/2017 से जारी किया गया।	अविकसित/अहस्तांतरित
2	रिद्धी-सिद्धी एक्सटेंशन	श्री भूपेन्द्र कुमार डांगी	कस्बा जावरा भूमि सर्वे नं. 985/6/2, कुल रकबा 0.759 हे.	वैध	2013-14	विकास कार्य पूर्ण करने हेतु कालोनाईजर को सूचना पत्र क्रं. 4704 दिनांक 22.11.2017 को जारी किया गया है।	अविकसित/अहस्तांतरित
3	मोहन परिसर	श्री शौकत खां पिता निसार खां मदारीपुरा जावरा	ग्राम-सुजावता भूमि सर्वे नं. 51/2/1, 51/2/4, 47/3, 51/2/3 कुल रकबा 2.176 हे.	वैध	2014-15	विकास कार्य पूर्ण करने हेतु विकास कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र क्रमांक 1449 दिनांक 13.10.2017 जारी किया गया है।	अविकसित/अहस्तांतरित
4	शिव महिमा एक्सटेंशन	श्री अनिल दसेड़ा पिता मोतीलाल जी दसेड़ा एवं अन्य	कस्बा जावरा भूमि सर्वे नं. 971, 972/2/2, 972/1/2, 972/1/1 कुल रकबा 2.421 हे.	वैध	2015-16	कालोनी विकास अनुमति की शर्त अनुसार अतिरिक्त आश्रय निधि जमा करने की सूचना पत्र क्रमांक 4258 दिनांक 25.10.2017 एवं 4682 दिनांक 22.11.2017 जारी की गई है। कालोनाईजर द्वारा आंशिक रूप से अतिरिक्त आश्रय निधि जमा की गई है। शेष राशि हेतु कालोनाईजर द्वारा आवेदन दिनांक 05.03.2018 प्रस्तुत कर 1 माह की समयवधि चाही गई है। कालोनी में विकास कार्य प्रचलित है।	अविकसित/अहस्तांतरित
5	रिद्धी-सिद्धी परिसर	श्री भूपेन्द्र कुमार डांगी	ग्राम सुजावता भूमि सर्वे नं. 24/1/2, 24/1/3, 23, 24/4 कुल रकबा 0.699 हे.	वैध	2015-16	कालोनाईजर को पत्र क्रमांक 1383 दिनांक 22.06.2016 को एवं कालोनी की विकास अनुमति हेतु पत्र क्रं. 971 दिनांक 30.05.2017 को परियोजना अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। विकास अनुमति की कार्यवाही प्रचलित है।	अविकसित/अहस्तांतरित
6	शिव महिमा सिटी	श्री अनिल दसेड़ा पिता मोतीलाल जी दसेड़ा	कस्बा जावरा भूमि सर्वे नं. 976/2/1, 973, 974, 975, 986/2 कुल रकबा 2.060 हे.	वैध	2015-16	विकास कार्य पूर्ण करने हेतु कालोनाईजर को पत्र क्रमांक 2416 दिनांक 24.08.2016 जारी किया गया है।	अविकसित/अहस्तांतरित


Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M. P. Bhopal

अनुमति अधिकारी
नगरीय विभाग एवं स्वच्छता विभाग
मध्य प्रदेश शासन

अनुमति अधिकारी
नगरीय विभाग एवं स्वच्छता विभाग
मध्य प्रदेश शासन

7	नवकार सिटी	श्री भुपेन्द्र कुमार डांगी	ग्राम-बन्नाखेडा भूमि सर्वे नं. 187/1/1/1/1 एवं 187/1/1/2 कुल रकबा 1.378 हे.	वैध	2016-17	कालोनाइजर को कालोनी को विकास अनुमति हेतु परियोजना अधिकारी को पत्र क्रमांक 972 दिनांक 30.05.2017 को जारी किया गया है। विकास अनुमति की कार्यवाही प्रचलित है।	अविकसित/ अहस्तांतरित
8	सागर-मोती एक्सटेंशन	श्री अनिल दसेड़ा पिता मोतीलाल जी दसेड़ा	कस्बा जावरा भूमि सर्वे नं. 962/1 मिन 2, 194/ मिन 2 कुल रकबा 1.518 हे.	वैध	2016-17	कालोनाइजर द्वारा प्राक्कलन अनुमोदन दिनांक 30.06.2017 को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रचलित है।	अविकसित/ अहस्तांतरित
9	सत्यसाई विहार कालोनी	श्री राहुल पिता चन्द्रप्रकाश ओस्तावाल, पुराना अस्पताल मार्ग, जावरा	ग्राम कुहारी भूमि सर्वे नं. 102, 103/1, 106 कुल रकबा 2.113 हे.	वैध	2016-17	कालोनी का नामकरण सत्यसाई विहार होकर कालोनाइजर को विकास कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र क्रमांक 2622 दिनांक 07.09.2016 जारी किया गया है।	अविकसित/ अहस्तांतरित
10	पटेल टाउनशिप	श्री मोहनलाल पिता बगदीराम माली	ग्राम बन्नाखेडा भूमि सर्वे नं. 194/1 रकबा 0.506 हे.	वैध	2017-18	कालोनाइजर को पत्र क्रं. 216 दिनांक 08.02.2018 से कालोनी विकास अनुमति प्राप्त होकर विकास कार्य प्रचलित है।	अविकसित/ अहस्तांतरित
11	नवकार हाईटस	नवकार उबलोपर्स एवं भागीदार श्री राजेश जैन अन्य 2	ग्राम बन्नाखेडा भूमि सर्वे नं. 178/4/2, 178/4/3, 178/1, 178/6 व 178/7 कुल रकबा 0.962 हे.	वैध	2017-18	विकास अनुमति की कार्यवाही प्रचलित है। परियोजना अधिकारी के पत्र क्र 169 दिनांक 30.1.18 से कालोनाइजर को आवश्यक दस्तावेज चाहे गए है।	अविकसित/ अहस्तांतरित

✓ MLC
परियोजना अधिकारी
शहरी विकास अधिकरण
जिला रतलाय


Assistant Engineer
Urban Administration and Development
M.P. Bhopal

कालोनाइजर अधिकारी
कम्य प्रवेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग